न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 138 / 2016

1. शंभूदयाल पुत्र स्व. श्री सोनपाल, जाति ब्राह्मण निवासी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल,
2. रूपादेवी पत्नी स्व. रामचरण
3. जगदीश पुत्र स्व. रामचरण
4. सीताराम पुत्र स्व. रामचरण
5. नानगाराम पुत्र सूरजमल, जाति ब्राह्मण, निवारी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
6. किन्नो देवी उर्फ किरन पत्नी शिवप्रसाद
7. रामदयाल पुत्र शिवप्रसाद
8. आलोक पुत्र शिवप्रसाद
9. इन्द्रा शर्मा उर्फ राजू पत्नी स्व. अनिल
10. रवि जैमन पुत्री स्व. अनिल नाबालिग जरिये संरक्षक
11. विशाल जैमन पुत्र स्व. अनिल नाबालिग
12. अशोक पुत्र शिवप्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान हालवासी शॉप नं0 4, सत्य निकेतन, मोती बाग, जय जय कॉलोनी, नई दिल्ली।
13. उर्मिला पुत्री स्व. शिवप्रसाद पत्नी श्री मोहरलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी गजीगढ, हालवासी मकान नं0 51, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।
14. सरोज पुत्री स्व. शिवप्रसाद पत्नी श्री बृजभूषण जाति ब्राह्मण, निवासी गुढा कटला रोड, सूरज विला, बांदीकुई जिला दौसा
15. सुनीता उर्फ गौरा पुत्री स्व. श्री शिवप्रसाद पत्नी सुरेश चंद जाति ब्राह्मण, निवासी माचडी, जिला अलवर।
16. शशि उर्फ सखी पुत्री स्व. शिवप्रसाद पत्नी मुकेश जाति ब्राह्मण, निवासी कजानीपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
17. तहसीलदार सब रजिस्ट्रार, टोडाभीम।

रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(अपील विरूद्व डिक्री व निर्णय दिनांक 29.11.2016 मु0नं0 10/2010 न्यायालय उप जिला उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम उनवानी रूपा देवी बनाम किन्नो देवी वगै0)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री सुरेश शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री सुनील जिंदल

अपील संख्या 05/2017

1. शंभूदयाल पुत्र स्व. श्री सोनपाल, जाति ब्राह्मण निवासी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. रामदयाल
2. आलोक पिसरान शिवदयाल जाति ब्राह्मण निवासी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
3. अनिल पुत्र शिवदयाल (फौत)
   3/1 इन्द्रा शर्मा पत्नी स्व. अनिल
   3/2 रवि पुत्री स्व. अनिल
   3/3 विशाल पुत्र स्व. अनिल जाति ब्राह्मण निवासी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
4. अशोक पुत्र शिवदयाल
5. किन्नो देवी बेवा शिवप्रसाद
6. उर्मिला पुत्री शिवप्रसाद
7. सरोज पुत्री शिवप्रसाद
8. सुनीता पुत्री शिवप्रसाद
9. सखी पुत्री शिवप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
10. तहसीलदार, टोडाभीम, जिला करौली।
11. रूपो देवी पत्नी स्व. रामचरण
12. जगदीश पुत्र स्व. रामचरण
13. सीताराम पुत्र स्व. रामचरण
14. नानगराम पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

रेस्पो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(अपील विरूद्ध डिक्री व निर्णय दिनांक 29.11.2016 मु0नं0 37/2010 न्यायालय उप जिला उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम उनवानी शम्भूदयाल बनाम रामदयाल वगै0)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री सुरेश शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री सुनील जिंदल

निर्णय **दिनांक 23.03.2021**

(दोनो प्रकरणों का एक साथ एक ही निर्णय किया जा रहा है।)

प्रकरण संख्या 138/2016 उनवानी शंम्भूदयाल बनाम महेन्द्र कुमार वगै0, प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 10/2010 निर्णय दिनांक 29.11.2016 उनवानी शम्भूदयाल बनाम महेन्द्र कुमार वगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक वादपत्र बाबत् इस्तकरारहक व तकस्मा व हुक्म इम्तनाई दवामी, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 2.06 हैक्टेयर जिसका साबिक खसरा नम्बर 95 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम गहरौली, तहसील टोडाभीम तथा खसरा नम्बर 435 रकबा 59 ऐयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 841 रकबा 01 ऐयर, खसरा नम्बर 842 रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 843 रकबा 28 ऐयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 02 ऐयर, खसरा नम्बर 845 रकबा 38 ऐयर, खसरा नम्बर 846 रकबा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 02 ऐयर, जिसके साबिक खसरा नम्बर 524 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 533 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 367 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम जो वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज घूडमल उर्फ घूडया पिसरान जगन्नाथ की खातेदारी की आराजीयात थी, जो जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 तथा जमाबंदी सम्वत 2021 से 2028 में दर्ज है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 ल0 11 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र में यह तथ्य दर्ज किये की वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग जगन्नाथ थे जिनके तीन लडके घूडमल उर्फ घूडया, सूरजमल, सोनपाल थे, जिनमें घूडमल उर्फ घूडया लाऔलाद फौत हो जाने से घूडमल उर्फ [illegible]ल व अचल सम्पत्ति के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी [illegible] घूडमल के भाई सूरजमल का हिस्सा 1/2, सोहनपाल का हिस्सा [illegible] सूरजमल के परिवार में प्रतिवादी नम्बर 01 के पति तथा प्रतिवादी नम्बर [illegible] ल0 09 के पिता शिवप्रसाद बडा लडका व कर्ता खानदान होने के कारण तथा सोहनपाल के परिवार में प्रतिवादी नम्बर 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

शिम्भूदयाल बडा लडका व कर्ता खानदान होने के कारण घूडमल उर्फ घूडया की विवादित पैतृक आराजीयात मुतजिका मद नं0 01 व 02 वाद पत्र घूडया के उत्तराधिकारी स्वयं को बताकर शिवप्रसाद व शिम्भूदयाल ने स्वयं के नाम नामान्तकरण खुलवाकर ग्राम पंचायत सांकरवाडा से तस्दीक करवा दिया, जिनकी जानकारी वादीगण को नहीं होने दी जबकि उक्त पैतृक आराजी में वादीगण नम्बर 01 ल0 03 का 1/6 हिस्से का वादी नं0 04 का 1/6 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 01 ल0 09 का 1/6 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 10 का 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 11 का 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी और उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है तथा वादपत्र के मद नम्बर 06 में कथन किया कि दिनांक 23.01.2010 को वादीगण अपने हिस्से की भूमि में खडी गेहूँ व सरसो की फसल देखने गये तो प्रतिवादीगण द्वारा भूमि में कब्जा हटाने व विक्रय करने की धमकी दी गयी। इसलिए दावा वादीगण द्वारा खातेदारी कराने व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का किया, जिसमें वादीगण नं0 01 ता0 03, 1/6 हिस्से के तथा वादी नम्बर 04, 1/6 हिस्से के खातेदारी चाही गयी और प्रतिवादीगण को पाबंद करने का निवेदन करते हुये दावा डिक्री करने का निवेदन किया। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थँ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री रूएदाद मिसल व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि कभी घूडमल की पैतृक भूमि नहीं रही थी, यह भूमि घूडमल की स्वअर्जित भूमि थी फिर भी इस भूमि को घूडमल की पैतृक बताते हुए दावे को डिक्री कर प्रत्यार्थी संख्या 01 के नाम 1/4 हिस्सा घोषित करने में भारी कानूनी भूल की है। दावा घोषणा खातेदारी, तकास्मे का था। भूमि का तकास्मा करने के संबंध में अधिनस्थ न्यायायल ने कोई प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की है जबकि तकास्मे का दावे में प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना व विभाजन स्कीम मंगवाया जाना आवश्यक होता है। ऐसा न कर अधिनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। प्रत्यार्थी महेन्द्र कुमार का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई संबंध या वास्ता नहीं रहा फिर भी उसका 1/4 हिस्सा मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। [illegible] संख्या 29 दिनांक 10.08.1965 घूडमल के जीवनकाल में खुला तथा इसका इन्द्राज उसी समय राजस्व रिकार्ड में हो गया। इस घटना को दावा दायरी के समय 45 वर्ष का समय बीत गया, तब तक प्रत्यार्थी संख्या 01 ने कोई कार्यवाही नहीं की, इस तरह वह अपने कण्डक्ट से एस्टॉप्ड है। इस ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ध्यान नही देने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। भूमि पर 1/2 हिस्से पर अपीलार्थी का कब्जा सन् 1965 से चला आ रहा है, बिना कब्जे के घोषणा प्रत्यार्थी सं0 01 के हक मे काउण्टर क्लेम स्वीकार करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। इस लिए फैसला व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

3. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 2.06 हैक्टेयर जिसका साबिक खसरा नम्बर 95 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम गहरौली, तहसील टोडाभीम तथा खसरा नम्बर 435 रकबा 59 ऐयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 841 रकबा 01 ऐयर, खसरा नम्बर 842 रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 843 रकबा 28 ऐयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 02 ऐयर, खसरा नम्बर 845 रकबा 38 ऐयर, खसरा नम्बर 846 रकबा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 02 ऐयर, जिसके साबिक खसरा नम्बर 524 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 533 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 367 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम जो रेस्पो0 व अपीलांट के पूर्वज घूडमल उर्फ घूडया पिसरान जगन्नाथ की खातेदारी की आराजीयात थी जो जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 तथा जमाबंदी सम्वत 2021 से 2028 में दर्ज है। रेस्पो0/वादीगण ने अपने वादपत्र के मद नम्बर 2 में रेस्पो0/वादीगण ने सजरा खानदान प्रस्तुत किया तथा वादपत्र में यह तथ्य दर्ज किये की रेस्पो0 व अपीलांट के बुजुर्ग जगन्नाथ थे, जिनके तीन लडके घूडमल उर्फ घूडया, सूरजमल, सोनपाल थे, जिनमें घूडमल उर्फ घूडया लाऔलाद फौत हो जाने से घूडमल उर्फ घूडया की चल व अचल सम्पत्ति के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी रेस्पो0 एवं अपीलांट थे अर्थात घूडमल के भाई सूरजमल का हिस्सा 1/2, सोहनपाल का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिये लेकिन सूरजमल के परिवार में शिवप्रसाद बडा लडका व कर्ता खानदान होने के कारण तथा सोहनपाल के परिवार में शिम्मूदयाल बडा लडका व कर्ता खानदान होने के कारण घूडमल उर्फ घूडया की विवादित पैतृक आराजीयात घूडया के उत्तराधिकारी स्वयं को बताकर शिवप्रसाद व शिम्मूदयाल ने स्वयं के नाम नामान्तकरण खुलावाकर ग्राम पंचायत सांकरवाडा से तस्दीक करवा दिया। जिसकी जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में दावा दर्ज करवाया गया। सजरा खानदान अनुसार खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी और उसी के अनुसार रेस्पो0 एवं अपी0 मौके पर काबिज है। दिनांक [illegible] को रेस्पो0 अपने हिस्से की भूमि में खडी गेहूॅ व सरसो की फसल [illegible] गये तो भूमि से [illegible] हटाने व विक्रय करने की धमकी दी गयी। इसलिए खातेदारी करार व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का दावा अधिनस्थ न्यायालय में किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री विधि सम्मत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

प्रकरण संख्या 05/2017 उनवानी शंभूदयाल बनाम रामदयाल वगै0, प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 37/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2016 उनवानी शम्भूदयाल बनाम रामदयाल वगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक वाद पत्र बाबत् इस्तकरारहक व तकस्मा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 59 ऐयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 841 रकबा 01 ऐयर, खसरा नम्बर 842 रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 843 रकबा 28 ऐयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 02 ऐयर, खसरा नम्बर 845 रकबा 38 ऐयर, खसरा नम्बर 846 रकबा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 02 ऐयर, स्थित ग्राम सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम एवं खसरा नम्बर 166 रकबा 2.06 हैक्टेयर स्थित ग्राम गहरौली जिसमें वादी 1/2 हिस्से के प्रतिवादी नम्बर 01 ल0 9 के पिता व पति शिवप्रसाद 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी का मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के बहामी बटवारा कर रखा है लेकिन रिकार्ड में नहीं हुआ। इसलिए बटवारा कराना आवश्यक हुआ। घटना दिनांक 02.04.2010 की प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने व विधिवत बटवारा करने से साफ इंकार कर देने से वादी द्वारा दावा डिक्री कर तकास्मा करने व प्रतिवादीगण को पाबंद करने का निवेदन किया। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि के संबंध में नामान्तकरण घूडमल उर्फ घूडया की मौजदगी में खुला था यह नामान्तकरण पैतृक भूमि के संबंध में नहीं था यह भूमि घूडमल की स्वअर्जित थी और सही प्रकार [illegible] उसकी मौजदगी में नामान्तकरण शंम्भूदयाल एवं शिवप्रकाश के नाम खोला गया था। इसलिए [illegible] प्रोपर्टी घूडमल की स्वअर्जित होने के कारण प्रत्यार्थीगण रूपादेवी, ज[illegible] हिस्सा नहीं बनाता है। इस ओर ध्यान नहीं देकर उनवानी मुकदमा रूपादेवी बनाम किन्नो देवी का गलत सहारा लेते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी अपीलार्थी का दावा खारिज कर देने में भारी कानूनी भूल की है। रिकार्डेड खातेदारी के अलावा अन्य के पक्ष को स्वीकार करते हुए वादी के दावे 37/2010 को अस्वीकार करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 बनाई गयी है। वह बिल्कुल गलत बनी है। जब आराजी का नामान्तकरण घूडमल की मौजूदगी में ही खुल चुका था तो फिर उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार पैदा होना अपने आप में गलत है और इस तनकी संख्या 01 का विवेचन भी गलत प्रकार से किया गया है। इस ओर ध्यान नहीं देने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। दावा उनवानी शंभूदयाल बनाम रामदयाल स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का फैसला व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर 3.21

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 2.06 हैक्टेयर जिसका साबिक खसरा नम्बर 95 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम गहरौली, तहसील टोडाभीम तथा खसरा नम्बर 435 रकबा 59 ऐयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 722 रकबा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 841 रकबा 01 ऐयर, खसरा नम्बर 842 रकबा 14 ऐयर, खसरा नम्बर 843 रकबा 28 ऐयर, खसरा नम्बर 844 रकबा 02 ऐयर, खसरा नम्बर 845 रकबा 38 ऐयर, खसरा नम्बर 846 रकबा 24 ऐयर, खसरा नम्बर 847 रकबा 02 ऐयर, जिसके साबिक खसरा नम्बर 524 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 533 रकबा 01 बीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 367 रकबा 01 बीघा 16 विस्वा स्थित ग्राम सांकरवाडा, तहसील टोडाभीम जो रेस्पो0 व अपीलांट के पूर्वज घूडमल उर्फ घूडया पिसरान जगन्नाथ की खातेदारी की आराजीयात थी जो जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 तथा जमाबंदी सम्वत 2021 से 2028 में दर्ज है। रेस्पो0/वादीगण ने अपने वाद पत्र के मद नम्बर 2 में रेस्पो0/वादीगण ने सजरा खानदान प्रस्तुत किया जिसमें यह तथ्य दर्ज किये की रेस्पो0 व अपीलांट के बुजुर्ग जगन्नाथ थे, जिनके तीन लडके घूडमल उर्फ घूडया, सूरजमल, सोनपाल थे, जिनमें घूडमल उर्फ घूडया लाऔलाद फौत हो जाने से घूडमल उर्फ घूडया की चल व अचल सम्पत्ति के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी रेस्पो0 एवं अपीलांट थे अर्थात घूडमल के भाई सूरजमल का हिस्सा 1/2, सोहनपाल का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिये लेकिन सूरजमल के परिवार में शिव[illegible] लडके व कर्ता खानदान होने के कारण तथा सोहनपाल के परिवार में [illegible] खानदान होने के कारण घूडमल उर्फ घूडया की विवादित आराजी के उत्तराधिकारी स्वयं को बताकर शिवप्रसाद व शिम्भूदयाल ने स्वयं के नाम नामान्तकरण खुलावाकर ग्राम पंचायत सांकरवाडा से तस्दीक करवा दिया। जिसकी जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दर्ज करवाया गया। सजरा खानदान अनुसार खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी और उसी के अनुसार रेस्पो० एवं अपी० मौके पर काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री विधि सम्मत किया है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की दोनो प्रकरण की बहस व तर्को पर मनन किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलीयो का अद्योपान्त अवलोकन किया।

प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि दिनांक 10.08.65 को घूडया पुत्र जगन्नाथ की आराजी का नामान्तकरण संख्या 29 (प्रदर्श–9) निर्णित किया गया है। इस नामान्तकरण को उत्तराधिकार के आधार पर शिवप्रसाद पुत्र सूरजमल व शम्भूदयाल पुत्र सोनपाल ब्राह्मण साकिन साकरवाडा हि० बराबर के नाम दिनांक 10.08.65 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है। सरपंच ग्राम पंचायत साकरवाडा द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर ही निर्णित किया गया है। वादपत्र के बिन्दु सं. 03 में वादी व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान दर्शाया गया है। इस सजरा खानदान में जगन्नाथ के तीन पुत्र घूडमल, सूरजमल व सोनपाल बताये है। घूडमल को लाऔलाद फौत होना बताया है। प्रतिवादी संख्या 01 ल० 09 द्वारा दिनांक 06.04.2010 को जवाब दावा प्रस्तुत किया है जिसके मद सं. 03 में मद नं. 03 वादपत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है, सजरा खानदान स्वीकार है का कथन किया है। गवाह किन्नो देवी उर्फ किरन पत्नी शिवप्रसाद ने जिरह में स्वीकार किया है कि "घूडमल उर्फ घूडया लाऔलाद फौत हो गया जिसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति में उसके वारिसान उसके भाई सूरजमल तथा सोनपाल का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन उक्त विवादित आराजी सूरजमल के परिवार में शिवप्रसाद एंव सोनपाल के परिवार में शम्भूदयाल कर्ता खानदान होने के कारण शिवप्रसाद व शिम्भूदयाल के हक में गलत खातेदारी दर्ज हो गयी।" नामान्तकरण संख्या 29 उत्तराधिकार के आधार पर खोला गया है। उत्तराधिकार में कानूनन सभी वारिसान सम्मलित होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 तनकीवार विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त विधि संगत पारित किया गया है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में [सुनाया] गया।

23.3.21
(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner